

न्यायालय कलेक्टर, जिला-सीधी (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी, दिलीप कुमार आए.ए.एस. कलेक्टर, जिला सीधी)

प्रकरण क्रमांक / 0001 / अ-19(3) / 2018-2019

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म0प्र0).....आवेदक।

बनाम

मध्यप्रदेश शासनअनावेदक।

आदेश

(पारित दिनांक 21 दिसम्बर, 2018)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर सीधी जिला सीधी के द्वारा पत्र क्रमांक 1898/ कार्य/2018 सीधी दिनांक 05.10.2018 प्रेषित कर बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) हेतु नहर निर्माण में वन विभाग के कम्पार्टमेन्ट क्रमांक पी-929 ग्राम गजरी की 0.483 हे०, पी-930 ग्राम चुरवाही की 0.832 हे०, पी 923-1 ग्राम पटेहरा कोठार की 1.147 हे०, पी-923-1X ग्राम झुगरिया दुअरा कला की 0.390 हे० कुल रकवा 2.851 हे० प्रभावित वन भूमि के एवज में जल संसाधन विभाग की ग्राम बोदारीटोला की भूमि खसरा नम्बर 136 रकवा 7.150 हे० में से 2.851 हे० भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने का निवेदन किया गया।

2. उपरोक्त पत्र प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, मझौली से जाँच प्रतिवेदन मँगाया गया। तहसीलदार मझौली के द्वारा ग्राम बोदारीटोला की शासकीय आराजी नम्बर 136 रकवा 7.150 हे० में से आवेदित रकवा हस्तान्तरित करने के लिए इशतहार का प्रकाशन किया गया। म्याद अन्दर किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

3. उपखण्ड अधिकारी मझौली के द्वारा प्रकरण क्रमांक 0001/अ-74/2018-2019 प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2018 में ग्राम बोदारीटोला की शासकीय आराजी नम्बर 136 रकवा 7.150 हे० में से अंश रकवा 1.315 हे० वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु अनुसंशा की गयी है।

तहसीलदार मझौली ने प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2018 में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम बोदारीटोला की आराजी क्रमांक 136 रकवा 7.150 हे० में से 1.315 हे० भूमि वन विभाग को दिये जाने के पश्चात भी ग्राम बोदारीटोला में चरनोई का रकवा 2.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। प्रस्तावित रकवा को नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है। इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी मझौली ने प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2018 में भूमि खसरा क्रमांक 136 रकवा 7.150 हे० में से अंश रकवा 1.315 हे० एवं रकवा 1.536 हे० सहित कुल रकवा 2.851 हे० भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।



Collector
Seoni / M. P.

330/प्रकरण
आवेदक
21/12/18
मी/वी

4. कार्यपालन यंत्री, महान नहर सीधी जिला सीधी के द्वारा बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) हेतु नहर निर्माण में वन विभाग की प्रभावित भूमि के समतुल्य रकबा जल संसाधन विभाग की भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण करने का निवेदन किया गया है।

5. प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 2018-2019 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम बोदारीटोला पटवारी हल्का बोदारीटोला नं०-18 राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली तहसील मझौली की प्रस्तावित शासकीय आराजी क्रमांक 136 रकबा 7.150 हे० मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग (आवेदक विभाग) दर्ज अभिलेख पायी जाती है। कार्यपालन यंत्री सिंचाई महान नहर संभाग सीधी ने अपने पत्र क्रमांक 1898/कार्य/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा उक्त भूमि में से जुज रकबा 2.851 हे० भूमि वन विभाग को अन्तरित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित भूमि झुड़पी, जंगल, मद की नहीं है। आवश्यकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है।

6. शासकीय विभाग को सरकारी भूमि अन्तरित किये जाने के लिये राजस्व पुस्तक प्रविष्टि खण्ड-चार, क्रमांक-2 की कण्डिका 05 में प्रावधानित किया गया है।

जिला अतएव उपखण्ड अधिकारी मझौली के प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2018 एवं दिनांक 21.12.2018 के अनुसार तहसील मझौली के पटवारी हल्का बोदारीटोला नं०-18 के ग्राम बोदारीटोला की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 136 रकबा 7.150 हे० में से अंश रकबा 2.851 हे० ग्राम गंजरी, चुरवाही, पटेहरा कोठार, झुमरिया दुआराकला की नहर निर्माण में वन विभाग की कुल प्रभावित रकबा 2.851 हे० के समतुल्य रकबा सिंचाई विभाग से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन मण्डलाधिकारी सीधी को निःशुल्क अन्तरित की जाती है। शेष रकबा 4.299 हे० यथावत सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रहेगा।

(दिलीप कुमार)

जिला सीधी (प्र०)

पृ० प्रकरण क्रमांक / 0001 / अ-19(3) / 2018-2019 सीधी, दिनांक 02 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, प्रगति भवन तृतीय तल एम.पी.नगर जोन-01 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, म० प्र० शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
3. सचिव, म० प्र० शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।

ने
6
कवा
9
16
4
धर
1.4.18
दिस
396
147
366
विन
8516
आ. 7
प. 7.1

- 4 सचिव, म०प्र०शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
- 5 आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को सूचनार्थ।
- 6 वन मण्डल अधिकारी सीधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 7 कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8 उपखण्ड अधिकारी, मझौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9-तहसीलदार मझौली संलग्न नक्शा अनुसार अभिलेख दुरुस्त कराकर मौके पर भूमि का कब्जा वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल सीधी को प्रदान कर संशोधित खसरे एवं नक्शे की नकल सहित पालन प्रतिवेदन 10 दिवस के अन्दर भेजें।

जिला सीधी, (म०प्र०)



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरकृत भू-आभिलेख

खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखें)

CLR No.: 1115060100018041000638

मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-आभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: कुमरीटोला			पटवारी हकका: नोटरीटोला			तहसील: मझौली			जिला: सीधी		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की ओईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/संख्या)	भू-खण्ड संख्या (खण्डों की संख्या में)	1. बेअकल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि खसरे के लिए नियमित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमि-स्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रादिक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अंश क्षेत्र	नौसर्ग कृषक (छादि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव 1. बंधक 2. बहिष्कार 3. भू-अर्जन 4. अन्य	फसल के ब्यारे 1. फसल क्षेत्रफल 2. रबी क्षेत्रफल 3. जारद क्षेत्रफल 4. अन्य	1. भूमि के सिमाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में परिवर्धनों में सुधार के अंश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1148921 774	136/2 (S)		2.8510 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग पता मझौली सीधी मध्य प्रदेश शासकीय	1						पटवारी प्रकरण क्रमांक 0001/a-19-3/20 आ.दि. 21/12/2018 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(अन्व)प्रकरण क्रमांक 0001 आ.दि. 21/12/2018 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है।

